

कार्यालय आदेश सं० ४२११७

श्री शिवलोचन प्रसाद, गा०प्र०/तकनी।/बलिया को मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के आधार पर महाप्रबन्धक (चिकित्सा) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ने अपने पत्र सं० 2016/मं०/174/2 दिनांक 02.08.2017 द्वारा चिकित्सा की सभी श्रेणियों में अयोग्य करार देने हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिश पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कर्मचारी को IRMM के पैरा 512(11) के तहत अयोग्य नहीं किया गया है।

अतएव उपरोक्त के आलोक में श्री शिवलोचन प्रसाद, गा०प्र० तकनी-।/बलिया को दिनांक 02.08.2017 से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपरोक्त पर वमविई/सामान्य का आदेश प्राप्त है।

कृते मरेप्र (का०),
वाराणसी
दिनांक-14.09.2017

सं० ई/एल/पीसी/शिवलोचन प्रसाद

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. वमविप्र, वमविई/सा०/वाराणसी
2. सी०से०ई०/वि०/बलिया
3. मुकार्याधी/विविध बिल, समापक भुगतान एम०पी०पी० सेल
4. कार्याधी/भर्ती
5. का०आ० पुस्तिका
6. सम्बन्धित कर्मचारी
7. मण्डल मंत्री/नरमू, अजा, अजजा एसो०

कृते मरेप्र (का०),
वाराणसी